संख्या-999/2025/3582/22-2-2023-17(1065)/2023

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 06 अगस्त, 2025*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मुन्नू उर्फ भोनू पुत्र श्री निरंजन, निवासी जनपद-वाराणसी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, कारागार मुख्यालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या-27511/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 04.08.2023, दिनांक 04.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मुन्नू उर्फ भोनू पुत्र श्री निरंजन, ग्राम-बलुआ, थाना-बड़ागॉव, जनपद-वाराणसी का निवासी है। बन्दी द्वारा दवा के लिए गाली-गलौज के विवाद को लेकर दिनांक 17.11.1985 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कन्ट्री मेड पिस्टल से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-191/1986 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-06, वाराणसी के दण्डादेश दिनांक 08.04.1987 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.02.2019 द्वारा सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.06.2023 तक अपरिहार 03 वर्ष 04 माह 03 दिन तथा 03 वर्ष 11 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की 58 वर्ष की आयु बन्दी द्वारा अपरिहार 03 वर्ष, 04 माह, 03 दिन की भोगी गयी सजा तथा अपर पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मुन्नू उर्फ भोनू (बन्दी संख्या-110/2021) पुत्र श्री निरंजन, निवासी जनपद-वाराणसी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-999/2025/3582(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in